न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 26/2017

1. हरीराम पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. इेशरराम पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. जगदीश पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–आवेदकगण

बनाम

1. महेन्द्र सिंह माला जाति निवासी ग्राम बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. प्रभारी अधिकारी (चिकित्सा अधिकारी) राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपखण्ड नवलगढ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)
4. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनू।

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अ0धारा 212 राज0काश्त0अधि0 व
अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी.
निर्णय

निर्णय दिनांक 12.04.2021

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बुगाला की सरहद में नई खाता संख्या 10 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 961 रकबा 4.2400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1443/920 रकबा 0.2300 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.47 हैक्टर स्थित है जो आवेदकगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। आवेदकगण उक्त प्रार्थना पत्र भूमि खसरा नम्बर 1443/920 रकबा 0.2300 हैक्टर के सम्बन्ध में पेश कर रहे है। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रश्नगत कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 600 तादादी 18 बीस्वा पुख्ता थे। आवेदकगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की प्रश्नगत कृषि भूमि के पूर्व दिशा में सटकर नई खाता संख्या 114 की भूमि खसरा नम्बर 1442/920 रकबा 0.4100 हैक्टर स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुगाला व अनावेदक संख्या 1 एवं अन्य हिस्सेदारो के नाम दर्ज है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1442/920 के कई खातेदार व हिस्सेदारों ने अपने हिस्से की भूमि जरीये दान–पत्र राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुगाला के पक्ष में दान की है जिसके अनुसार नामान्तकरण संख्या 1617 व 1618 दिनांक 10.05.2016 के द्वारा खातेदारी दर्ज हुई है, जिसके सम्बन्ध में आवेदकगण का कोई विवाद नही है। लेकिन आवेदकगण की प्रश्नगत कृषि भूमि एव भूमि खसरा नम्बर 1442/920 के मध्य सीमा का काफी समय से विवाद चल रहा है और आवेदकगण की प्रश्नगत कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा में अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.3000 हेक्टर स्थित है। परन्तु आवेदकगण की प्रश्नगत कृषि भूमि व अन्य भूमि खसरा नम्बर 1115 के मध्य से होकर उत्तर दिशा से दक्षिणा दिशा की तरफ कोई रास्ता नही है और ना ही कभी कोई आवागमन रहा है। लेकिन नई पैमाईश वालों ने आवेदकगण की प्रश्नगत कृषि भूमि की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे उतर से दक्षिण की तरफ गलत रूप से रास्ता रिकार्ड में दर्ज कर दिया है जबकि

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

पुरानी पैमाईश की सर्वेशीट सम्वत 1993 में प्रश्नगत कृषि भूमि में से होकर कोई रास्ता दर्ज नही था और ना ही कोई आवागमन रहा है नई पैमाईशवालो ने किसी व्यक्ति विशेष को नाजायज फायदा पहुचाने की गलत मंशा से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वाला-वाला विधि विरूद्ध कार्यवाही करके प्रश्नगत कृषि भूमि की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे होता हुआ रास्ता गलत रूप से दर्ज किया है जिससे प्रश्नगत कृषि भूमि का नक्शा ट्रेस, जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड व पुरानी पैमाईश की सर्वेशीट के मुताबिक काफी छोटा दर्ज हो गया है। यानि नई पैमाईश वालो ने प्रश्नगत कृषि भूमि का नक्शा ट्रेस जमाबंदी में दर्ज रकबा व पुरानी सर्वेशीट से कम दर्ज कर दिया है। जिससे राजस्व रिकार्ड का नक्शा ट्रेस गलत बन गया है जबकि नई पैमाईश वालो को इस प्रकार का हक अधिकार नही था। जिसको कानूनी रूप से किसी भी समय कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है तथा गलत राजस्व रिकार्ड दर्ज होने से आवेदकगण के अधिकारो का हनन हुआ है। इसलिए पुरानी पैमाईश की सर्वेशीट एवं जमाबन्दी मे दर्ज रकबे के मुताबिक प्रश्नगत कृषि भूमि का नक्शा ट्रेस बनाया जाकर मौके पर सीमा चिन्ह कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड सही व दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित है।

अनावेदगकण चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण होने से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुगाला के प्रभारी अधिकारी है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि के पूर्व दिशा में सटकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1442/920 अनावेदकगण एव अन्य हिस्सेदारो की शामलाती कब्जे काश्त व हक अधिकार की भूमि है। आवेदकगण का केवल अनावेदकगण के विवाद है तथा अन्य हिस्सेदारो से कोई विवाद नही है। आवेदकगण की प्रश्नगत कृषि भूमि की पूर्वी सीमा का विवाद होने पर आवेदकगण ने प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार के आदेशानुसार पटवारी हल्का बुगाला से दिनांक 09.07.2015 व 16.06.2016 को सीमाज्ञान करवाया था और उक्त सीमाज्ञान के पश्चात दिनांक 17.01.2017 को पुनः राजस्व विभाग की टीम ने सीमाज्ञान करके सीमा के चिन्ह करके पत्थर लगाकार सीमा निश्चित की गई है। परन्तु उक्त राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भी प्रश्नगत कृषि भूमि का नक्शा ट्रेस जमाबन्दी में दर्ज करने व पुरानी पैमाईश की सर्वेशीट से क्षैत्रफल मे छोटा (कम0) होना माना है। यानि पुरानी सर्वेशीट व जमाबन्दी में दर्ज रकवा के मुताबिक प्रश्नगत कृषि भूमि का नक्शा ट्रेस क्षैत्रफल मे वडा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन राजस्व रिकार्ड का नक्शा ट्रेस गलत दर्ज कर रखा है जिसको पुराने राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी के मुताबिक सही व दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित है। हालाकि अनावेदकगण ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1442/920 रकवा 0.4100 हैक्टर में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुगाला का भवन निर्माण मय चारदिवारी का कार्य चालू कर रखा है। उक्त भवन निर्माण बावत आवेदकगण को कोई ऐतराज नही है लेकिन अनावेदगण ने आपस मे मिलकर आवेदकगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की प्रश्नगत कृषि भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने की बेइमानी से दिनांक 19.02.2017 को प्रश्नगत कृषि भूमि की पूर्वी सीमा में स्थित पत्थर उखाड़कर व सीमा को नष्ट करके जबरन नींव खोदना चालू कर दिया है। और निर्माण सामग्री डलवाई जा रही है। आवेदकगण ने अनावेदकगण को प्रश्नगत कृषि में नींव खोदकर चार दिवारी निर्माण नही करने के लिए मना किया तब उन्होने कहा कि यह सरकार का काम है जिसकों कोई रोकने वाला नही है। उक्त कार्य 15-20 रोज में ही पूरा करके चार दिवारी निर्माण करवा दी जायेगी। अनावेदकगण कानून को हाथ में लेकर जबरन प्रश्नगत कृषि भूमि में अवैध निर्माण कार्य करवाकर कब्जा करने के कुचेष्टा मे लगे हुए है और उक्त निर्माण कार्य रात दिन लगतार चालू कर रखे है। अनावेदकगण ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया गया सीमाज्ञान को भी नष्ट करके अवहेलना की है। जिसको कानूनी रूप से कोई हक अधिकार नही है। तथा अनावेदकगण ने आवेदकगण को यह भी धमकी दी है कि उक्त भवन मय चार दिवारी का मुख्य गेट (दरवाजा) प्रश्नगत कृषि भूमि की तरफ निकालेगे और प्रश्नगत कृषि भूमि की उतरी सीमा के सहारे-सहारे चलकर नया रास्ता निकालेगे। जिसका अनावेदगण को कोई हक अधिकार नही है। यदि अनावेदगण ने आपस में मिलकर प्रश्नगत कृषि भूमि में जबरन अवैध निर्माण कार्य करके गलत रूप से

ए. सी. ई. एम. (फा. टे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

गेट निकाल कर नया रास्ता निकाल लेगे तो आवेदकगण को काफी नुकसान होगा। आवेदकगण की कृषि भूमि वेस्ट व डेमेज होगी। जबकि आवेदकगण की प्रश्नगत कृषि भूमि में से होकर कभी भी कोई रास्ता नही रहा है और अनावेदकगण की कृषि भूमि के दक्षिणी दिशा में सटकर रास्ता लगता है जिससे आवागमन हो रहा है। लेकिन अनावेदकगण अपनी आदत से बाज नही आ रहे है और प्रश्नगत कृषि भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में बाधा व अवरोध पैदा कर रहे है, जिसको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना निहायत जरूरी है।

अनावेदकगण अपनी गलत मंशा में सफल हो गये और प्रश्नगत कृषि भूमि में अवैध अतिक्रमण करके नाजायज रूप से गेट निकालकर रास्ता निकाल लेगे तो आवेदगण के साथ अहित होगा और आवेदगण को कई प्रकार के मुकदमों में फसना पड़ेगा। जिससे समय व धन की बर्बादी होगी और अपार क्षति होगी। जिसका खामियाजा भुगतना किसी भी हालत में सम्भव नही होगा। तथा प्रश्नगत कृषि भूमि आवेदकगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर काबिज व आबाद है। इसलिए आवेदकगण को प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है। इस कारण आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अनुतोष के संबंध मे निवेदन किया कि अनावेदकगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आवेदकगण को प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1443/920 रकबा 0.2300 हैक्टर के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा व अवरोध पैदा नही करे और ना ही प्रश्नगत कृषि भूमि की पूर्वी सीमा को उखाड़कर व नष्ट करके नाजायज रूप से नींव खोदकर चार दिवारी निर्माण करवाकर जबरन व अवैध रूप से कब्जा व अतिक्रमण करे तथा इस आशय से भी पाबन्द किया जावे कि प्रश्नगत कृषि भूमि की तरफ कोई गेट व दरवाजा नही निकले और ना ही प्रश्नगत कृषि भूमि की उतरी सीमा के सहारे-सहारे नया रास्ता निकाले और ना ही आवागमन करे। प्रश्नगत कृषि भूमि को वेष्ट व डेमेज नही करे तथा ता दौराने वाद प्रश्नगत कृषि भूमि के मौके के यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनोदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 में भूमि खसरा नम्बर 961 व 1443/920 आवेदक की खातेदारी की भूमि होना सही है स्वीकार है, लेकिन इसको साबित करने का भार आवेदक पर है।

प्रार्थना पत्र की धारा 2 में दर्ज प्रश्नगत भूमि के गत खसरा नम्बर 600 होना स्वीकार है व उक्त भूमि पूर्वी दिशा में सटकर भूमि हाल खसरा नम्बर 1442/920 होना स्वीकार है व उसकी खातेदारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नाम दर्ज हो चुकी है भूमि खसरा नम्बर 1442/920 के समस्त खातेदारों ने व्यापक जनहित की भावना से प्रेरित होकर उक्त भूमि को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुगाला के नाम जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र के द्वारा दान करदी है। आवेदकगण का यह कहना गलत है कि उसकी भूमि खसरा नम्बर 1443/920 की सीमा का खसरा नम्बर 1442/920 के खातेदारों के मध्य विवाद चल रहा है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1443/920 व 1442/920 के मध्य श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश से भूमि खसरा नम्बर 1442/920 के दान करने के बाद दिनांक 17.01.2017 को गांव के मौजीज लोगों को सामने गिरदावर हल्कापटवारी व तहसीलदार द्वारा गठित की गई टीम के साथ सीमज्ञान कर दिया गया है। आवेदकगण का यह कहना कतई गलत हे कि भूमि खसरा नम्बर 1443/920 व भूमि खसरा नम्बर 1115 जो भूमि खसरा नम्बर 1443/920 से सटकर पश्चिमी दिशा मे है के मध्य से कभी कोई रास्ता नही रहा है। भूमि खसरा नम्बर 1443/920 व 1115 की सीमा के मध्य से ही मौके पर रास्ता चालू रहा है व राजस्व रिकॉर्ड में भी रास्ता दर्ज है उक्त भूमि के उत्तर दिशा में सदैव से ही दोनो तरफ की आबादी व आबादी के भूमियों मे आने-जाने के लिए सदेव से ही रास्ता चालू रहा है व गांव के लोग इसका उपयोग उपभोग

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

करते रहे है। नई पैमाईश के समय मौके पर रास्ता मौजूद था ओर मोके की स्थिति के अनुरूप ही रास्ता दर्ज किया है। उक्त रास्ता बंद होने से ग्राम के 150–200 घरों के लिए भारी परेशानी हो जायेगी। आवेदकगण का यह कहना कतई गलत है कि उनका नक्शा व जमाबंदी गलत बन गये है। आवेदकगण का नक्शा सही है पैमाईश वालों ने कोई गलत रिकार्ड व नक्शा नही बनाया है तथा उक्त धारा में उल्लेखित बिन्दुओं को साबित करने का भार आवेदकगण का है।

प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस प्रकार दर्ज है अस्वीकार है। आवेदकगण का यह कहना कतई गलत है कि उनके खेत खसरा नम्बर 1443/920 व 1715 के मध्य कभी कोई रास्ता नही हो व नक्शा ट्रेश गलत बना हो तथा आवेदकगण का कहना भी गलत है कि अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 आवेदकगण की भूमि में नींव खोद रहे है। सही बात यह है कि अनावेदक जवाबदेहन्दा न कोई नींव खोद रहा है न अन्य कुछ कर रहा है। प्रतिवादी नम्बर 2, 3, 4 सरकारी अधिकारी है व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि पर ही खोदी गई है व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जमीन मे ही डंडे वगैरह का निर्माण किया गया है। अनावेदकगण की मंशा सही नही है अनावेदकगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का कोई अधिकार नही है वाद आवेदकगण खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की धारा 4 गलत है अस्वीकार है। आवेदकगण का यह कहना कतई गलत है कि अनावेदकगण आवेदकगण की भूमि मे अतिक्रमण करके निर्माण कर रहे है। रास्ता निकाल रखा है तथा जब अनावेदकगण आवेदकगण व निर्माण नही कर रहे है स्वयं की भूमि मे निर्माण कर रहे है ऐसी स्थिति में आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला होने का कोई सवाल ही नही है न ही सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है। वाद आवेदकगण खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की धारा 6 कानूनी है तथा जब दावा ही आधारहीन है तो प्रार्थना पत्र में सफलता मिलने की काई गुजाईश नही है।

आवेदक को अनावेदक को पाबन्द करवाने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र आधारहीन व कपोल कल्पित है। अनावेदक ने जनहित में अपनी भूमि का सरकारी अस्पताल के लिए दान किया है तथा राजस्व रिकार्ड सही बना हुआ है। प्रार्थना पत्र हर्जे–खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

अनावेदकगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदकगण के व्यक्तिगत विवाद से जवाबदेहन्दागण का कोई सम्बन्ध नही है जवाबदेहन्दागण को भूमि दिनांक 28.10.2013 को जरिये दान–पत्र खसरा नम्बर 1442/920 रकबा 0.41 हैक्टर भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुगाला हेतु दान में दी गई है जिसकी नपती की जाकर चार दिवारी कर ली गई है शेष कथन से जवाब देहन्दा को कोई लेन देन नही है राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो रास्ता दर्ज किया गया है वह सही दर्ज किया जिससे आवेदकगण को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नही है क्योकि जवाबदेहन्दागण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुगाला द्वारा जनहित में कार्य किया जावेगा जिसे आम जनता को स्वास्थ्य हेतु लाभ प्राप्त होगा। प्रार्थना पत्र की धारा 4 अस्वीकार है। उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र जनहित के लिए बनाया जा रहा है जिसमें जवाबदेहन्दादगण का कोई व्यक्तिगत हित नही है आवेदकगण ने तमाम तथ्य मिथ्या व मनगढ़त दर्ज किये है वे इस दावे की आड में स्वास्थ्य केन्द्र को रूकवाना चाहते है एवं राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना चाहते है।

प्रार्थना पत्र की धारा 5 अस्वीकार है आवेदकगण को उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि एवं आम रास्ते की भूमि कोई सम्बन्ध नही है जवाबदेहन्दा दान की गई भूमि पर चार दिवारी का निर्माण कर दरवाजे का निर्माण कर रहा है जिसको रोकने का आवेदकगण को कोई अधिकार नही है क्योकि जवाबदेहन्दागण जनहित में कार्य कर रहे है जिससे आवेदकगण को कोई क्षति होने की सम्भावना नही है, आवेदकगण का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है ना ही सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है यदि अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है तो अनावेदकगण को अपुरणीय क्षति होगी।

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested

जवाब के अतिरिक्त कथन किया गया कि जवाबदेहन्दा दिनांक 26.04.2013 को खातेदारों द्वारा दान की गई भूमि में चार दीवारी बनाकर स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करना चाहते है जो कि जनहित का कार्य है जिसको रोकने का आवेदकगण को कोई अधिकार नही है। आवेदकगण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुगाला के निर्माण कार्य में इस दावे/प्रार्थना पत्र की आड़ में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है जिनका उन्हे कोई अधिकार नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र हर्जे–खर्चे सहित खारिज फरमावे।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नई पैमाईश में नक्शा छोटा बना तथा पुरानी पटवारी नक्शा तथा पुराने नक्शे के अनुसार संशोधन किया जावे। रास्ता दक्षिण में लगता है तथापि पश्चिम में रास्ता 1443/920 में जबरदस्ती कायम करना चाहते है है, पीएचसी का रास्ता वादी की भूमि में करना गलत है। तथा वकील अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पीएचसी हेतु भूमि दान की गई जिसमें चारदिवारी बन चुकी है भूमि दान जनहित उद्देश्य से की गई है। आम जनता को सुविधा हेतु भूमि उपलब्ध नही होने के कारण भूमि का दान की है जिसमें बन रही पीएचसी आमजन की सुविधा है। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला :–ग्राम बुगाला की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 10 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 961, 1443/920, रकबा क्रमशः 4.24, 0.2300 हैक्टर कुल किता 4.47 हैक्टर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा मोके पर वादीगण कब्जे काश्त है। अतः आवेदकगण के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं आवेदकगण का कब्जे काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है
2. सुविधा का संतुलन :– बिन्दु संख्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष मे होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष बनता है।
3. अपूरणीय क्षति :– उपरोक्त दोनो बिन्दुओ में आवेगदकण के पक्ष में होने से तथा आवेदकगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने अपूरणीय क्षति आवेदक पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बुगाला स्थित भूमि खसरा नम्बर 1443/920 रकबा 0.2300 हैक्टर भूमि के मोके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु ता दावा निर्णय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपाल मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:08 IST
Reason: SelfAttested